भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-84
सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

बेरोजगारी की दर कम करने के लिए पैकेज

84. श्री शिशिर कुमार अधिकारीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में विगत पांच महीनों के दौरान बेरोजगारी की औसत दर 24 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है और जुलाई, 2020 में यह दर अपने सर्वाधिक स्तर पर, अर्थात् 27.11 प्रतिशत रही है;
(ख) क्या यह सच है कि बेरोजगारी देश की सबसे गंभीर चिंता है; और
(ग) सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए अविलंब क्षेत्र-वार पुनरुद्धार पैकेज प्रदान करने के संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): रोजगार-बरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2018-19 के दौरान आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण की सूचना के आधार पर देश में सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी दर 5.8% थी।

(ख एवं घ): कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जा रहे हैं तथा इस अवधि के दौरान भारत में रोजगार की हानि भी देखी गई है। सरकार ने स्थानीय स्तरों पर रोजगार सृजित करने हेतु पहल की हैं तथा प्रवासी कामगारों की प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), आत्मनिर्भर भारत एवं प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) के माध्यम से सहायता कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था, अव-संरचना, व्यवस्था, व्यवस्था पूर्ण जनसांख्यिकी एवं मांग पर आधारित है जिससे युवाओं हेतु रोजगार सृजित हो। इसमें देश में रोजगार अवसरों के सृजन को सुकर बनाने हेतु 20 लाख करोड़ रु. का आर्थिक पैकेज शामिल है।

पीएमजीकेवाई के तहत, अनाज प्रदान करने के अतिरिक्त, लाभार्थियों के खातों में सीधे ही अनुग्रह पूर्वक अनुदान भुगतान, कुछ प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों हेतु ईपीएफ अंशदान भी सरकार द्वारा किया गया। जिससे कि उद्योग विशेषकर एममएसएमई क्षेत्र को सहायता मिल सके। इसके अतिरिक्त, एमजी नरेगा के तहत वेतन को 182 रु. प्रति दिन से बढ़ाकर 202 रु. किया गया है जिससे 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) के तहत भारत सरकार ने स्थानीय रोजगार अवसरों विशेषकर प्रवासी लौटने वालों को प्रदान करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के ले अनेक कदम उठाए हैं। इसमें 50,000 करोड़ रु. के संसाधन आवृत के साथ 6 राज्यों के 116 जिले शामिल हैं जिसका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 125 दिवसों के मिशन मोड़ अभियान में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

सरकार ने अवसंरचना लॉजिस्टिक्स, क्षमता निर्माण, कृषि, मत्स्य एवं खादय प्रसस्करण क्षेत्रों हेतु शासन एवं प्रशासनिक सुधारों को सुदृढ़ करने के लिए उपायों की भी घोषणा की है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से उनका व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/-रु. तक का गारंटी मुक्त कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

*****